

## निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक : सी-1493 / बा0वि0परि0 / लेखा / 2015-16

दिनांक : 16 मार्च, 2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी / प्रभारी,  
उत्तर प्रदेश।


विषय : प्रदेश के कोषागारों में ई-पेंमेंट लागू होने के फलस्वरूप आवश्यक निर्देश।

उपरोक्त संबंध में वित्त विभाग के संलग्न शासनादेश संख्या-6/2016/ए-1-226/दस-2016-10(28)/2011 दिनांक 15 मार्च, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें (प्रति संलग्न), के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी कोषागारों में समस्त बिल विलम्बतम दिनांक 25 मार्च, 2016 तक अवश्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें जिससे सभी कोषागारों द्वारा दिनांक 25.3.2016 तक प्राप्त हुए बिलों की जांच कर विलम्बतम दिनांक 27 मार्च, 2016 तक ई-पेंमेंट व्यवस्था के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारियों को टोकन नम्बर जारी कर दिये जायेंगे। कोषागारों से उक्तानुसार जैसे ही आहरण एवं वितरण अधिकारी को टोकन नम्बर प्राप्त हो जाये, उनके द्वारा ई-पेंमेंट के लिये ट्रान्जेक्शन फाइल को विलम्बतम दिनांक 28 मार्च, 2016 तक अपलोड एवं अप्रूव करने की कार्यवाही अवश्य कर ली जाये जिससे कि कोषागारों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2016 के पूर्व ही बिलों की जांच कर ई-पेंमेंट के द्वारा भुगतान की कार्यवाही कर दी जाये।

जैसाकि आप अवगत है कि विगत वर्ष में दिनांक 31 मार्च, 2015 को बिल लगाये जाने के कारण अनेकों पेमेंट ट्रान्जेक्शन न होने के कारण भुगतान लम्बित हो गया था। इसलिये यह आवश्यक है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त बजट के अन्तर्गत समस्त देयकों को नियमानुसार उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्तर्गत कोषागारों में प्रस्तुत कर दिया जाये।

अतः उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा निर्धारित तिथि तक अपने बिल कोषागार में अवश्य प्रस्तुत कर दें अन्यथा की दशा में आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

  
(विश्वजीत कुमार दास)  
अपर निदेशक (वित्त)

प्रेषक,

राहुल भटनागर,  
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1

लखनऊ - दिनांक - 15 मार्च, 2016

विषय - प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेण्ट लागू होने के फलस्वरूप आवश्यक निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31-01-2013 द्वारा विभिन्न चरणों में ई-पेमेण्ट प्रणाली का विस्तार करते हुए दिनांक 01-04-2013 से कोषागारों द्वारा समस्त भुगतान ई-पेमेण्ट के माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके क्रम में प्रदेश के सभी कोषागारों में सभी प्रकार के देयकों का भुगतान दिनांक 01-04-2013 से ई-पेमेण्ट के माध्यम से किया जा रहा है एवं अब कोषागारों द्वारा किसी भी भुगतान हेतु चेक जारी नहीं किया जा रहा है। ई-पेमेण्ट की इस व्यवस्था के अन्तर्गत आहरण-वितरण अधिकारियों के स्तर पर, कोषागार स्तर पर एवं राजकीय व्यवसाय किए जाने वाली बैंक की शाखाओं के स्तर पर कई प्रक्रियात्मक परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप ई-पेमेण्ट में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 निर्गत किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि -

- (i) सभी प्रशासकीय विभाग एवं बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा निर्गत की जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों को दिनांक 15 मार्च, 2016 तक आवश्यक रूप से निर्गत कर दिया जाये तथा उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि वित्तीय स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष आवंटन कार्य स्थल (आहरण एवं वितरण अधिकारी) तक विलम्बतम् दिनांक 20 मार्च, 2016 तक अवश्य पहुँच जाये।
- (ii) सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में समस्त बिल विलम्बतम् दिनांक 25 मार्च, 2016 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिये जायें, जिससे कि प्रस्तुत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

बिलों की आवश्यक चेकिंग के बाद कोषागारों द्वारा बिलों की पासिंग तथा ई-पेमेण्ट के माध्यम से दिनांक 31 मार्च, 2016 तक भुगतान हेतु अंथराईजेशन किया जा सके, क्योंकि दिनांक 31 मार्च, 2016 तक पारित बिलों का भुगतान ई-पेमेण्ट द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2016 को रात्रि 08:00 बजे तक ही हो पायेगा।

- (iii) सभी कोषागारों द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2016 तक प्राप्त हुए बिलों की जाँच कर विलम्बतम् दिनांक 27 मार्च, 2016 तक ई-पेमेण्ट व्यवस्था के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारियों को टोकन नम्बर जारी कर दिये जायें।
- (iv) कोषागारों से उक्तानुसार जैसे ही आहरण एवं वितरण अधिकारियों को टोकन नम्बर प्राप्त हो जाये, उनके द्वारा ई-पेमेण्ट के लिए ट्रान्जेक्शन फाइल को विलम्बतम् दिनांक 28 मार्च, 2016 तक अपलोड एवं अप्रूव करने की कार्यवाही अवश्य कर ली जाय, जिससे कि कोषागारों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2016 के पूर्व ही बिलों की जाँच कर ई-पेमेण्ट के द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जा सके।
- (v) उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन आगामी वित्तीय वर्षों में भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्षों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। उक्त का अनुपालन न करने तथा सामयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्यपगत हो जाने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,  
राहुल भटनागर,  
प्रमुख सचिव।

**संख्या-6/2016/ए-1-226(1)/2016-10(28)/2011, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 4- निदेशक, कोषागार, 30प्र0, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ-226001.
- 6- क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, क्षेत्र महाप्रबन्धक सचिवालय, नया भवन प्रथम तल, हजरतगंज, लखनऊ-226001.
- 7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,  
राजीव श्रीवास्तव,  
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।